



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240336
CG-DL-E-16112022-240336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5108]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2022/कार्तिक 25, 1944

No. 5108]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2022/KARTIKA 25, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

का.आ. 5334(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 949 (अ) तारीख 02.03.2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के काँगड़ा जिले में NH154 के कि.मी. 42 से कि.मी.51 (थे कम्पीटेंट अथॉरिटी ऑफ़ लैंड एक्कीजीशन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 06.03.2022 को "इंडियन एक्सप्रेस" और "अमर उजाला" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के काँगड़ा जिले में NH154 के कि.मी. 42 से कि.मी.51 (थे कम्पीटेंट अथॉरिटी ऑफ़ लैंड एक्कीजीशन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: काँगड़ा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: जवाली				
	गांव का नाम: भारील				
1	959/2	सरकारी	गैर कृषि	1.4575	सरकार हिमाचल प्रदेश (959/2)
2	969/2/1	निजी	गैर कृषि	0.2819	कुल 2880 भाग रणजीत सिंह राय सिंह पुत्र व श्रीमती व्यासो देवी विधवा मिलखी राम पुत्र फीना भाग वरावर 45 भाग सर्व श्रीमती सोमा देवी , चैचला देवी , शान्तो देवी पुत्रिया फीना पुत्र हरबज भाग वरावर 135 भाग , मुनीश कुमार , अजय कुमार पुत्र व् श्रीमती विमला देवी विधवा खुशहाल सिंह पुत्र जगत सिंह भाग वरावर 16 भाग बलदेव सिंह रण सिंह पुत्र ज़मीत सिंह पुत्र गुरबज भाग वरावर 1080 भाग चैन सिंह , राजिंदर सिंह पुत्र व श्रीमती कांता देवी पुत्री व् श्रीमती गीता देवी विधवा जगत सिंह पुत्र दुलो भाग वरावर 64 भाग रमेश चंद मदन लाल पुत्र व् सर्व श्रीमती बेबी , बीना पुत्रिया व् श्रीमती मलका देवी विधवा जगरूप सिंह पुत्र दुलो भाग वरावर 80 भाग रघुबीर सिंह प्रकाश चंद प्यार सिंह पुत्र दुलो पुत्र काहन भाग

					वरावर 240 भाग रजनीश संजीव कुमार अनिल कुमार पुत्र व श्रीमती संतोष कुमारी विधवा माधो पुत्र दुलो भाग वरावर 80 भाग बाबुराम पुत्र विकर पुत्र काहन 240 भाग राकेश सिंह जतिंदर सिंह पुत्र प्रमोद सिंह पुत्र विकर सिंह भाग वरावर 240 भाग हरदयाल पुत्र काहन पुत्र नामालूम 480 भाग फारूकनुरानी आकिब जावेद पुत्र व श्रीमति वेनजीर पुत्री कालुदीन पुत्र मंनशा अली भाग वरावर 180 भाग स्थानीय वासी (969/2/1)
3	970/3/1	निजी	गैर कृषि	0.0762	कुल 762 भाग पूर्ण सिंह 68 भाग करतार सिंह - सुरेश कुमार भाग वरावर 170 भाग पुत्र मोती पुत्र गुरुदिता संजय कुमार पुत्र पूर्ण सिंह पुत्र मोती 16 भाग उतमचंद सुरजीत सिंह - कृष्ण सिंह भाग बराबर 466 भाग पुत्र व श्रीमति रामदेयी. 42 भाग विधवा रेलू पुत्र राम सिंह स्थानीय वासी (970/3/1)
गांव का नाम: नेरा					
4	153/2	सरकारी	गैर कृषि	0.0045	सरकार हिमाचल प्रदेश (153/2)
5	189/2	सरकारी	गैर कृषि	0.0021	सरकार हिमाचल प्रदेश (189/2)
6	215/2	सरकारी	गैर कृषि	0.046	सरकार हिमाचल प्रदेश (215/2)
			कुल	1.8682	

[फा. सं. 11011/27/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2022

S.O. 5334(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.no. 944 (E) dated 02.03.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956)

(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH154 on the stretch of land from Km 42 to Km 51 (The Competent Authority of land Acquisition) in the district of KANGRA in the state of HIMACHAL PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Indian Express” and “Amar Ujala” both dated 06.03.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH154 in the stretch of land from Km 42.00 to Km 51.00 of NH-154 (The Competent Authority of land Acquisition) in the district of KANGRA in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH			District: KANGRA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Jawali				
	Village: Bhareel				
1	959/2	Government	Non Agriculture	1.4575	Himachal Pradesh Government 959/2
2	969/2/1	Private	Non Agriculture	0.2819	Total 2880 Share Ranjeet Singh ,Rai Singh Son & Smt Vyaso devi Wd/o Milkhi Ram S/o fina Equal Share 45 Share Smt Soma Devi Chanchala devi Shanto devi D/o fina S/o Harbhajan Equal Share 135 Share Munish Kumar Ajay kumar Son & Smt Bimla Devi Wd/o Kushhal Singh S/o Jagat Singh Equal Share 16 Baldev Singh Ran Singh S/o Jameet Singh S/o gurbaj Equal share 1080 Share Chain Singh Rajinder Singh Son & Smt Kanta Devi Daughter & Smt Geeta devi Wd/o Jagat Singh S/o Dulo Equal Share 64 Share Ramesh Chand Madan Lal Son & Smt Baby Beena Daughter & Smt Malka Devi Wd/o Jagroop Singh S/o Dulo Equal share 80 Share Raghubir Singh Prakash Chand Pyar Singh S/o Dulo S/o Kahan Equal Share 240 Share Rajneesh Sanjeev Kumar Anil kumar Son & Smt Santosh kumari Wd/o Madho S/o Dulo Equal Share 80 Share babu Ram S/o Bikar S/o Kahan 240 share Rakesh Singh jatinder Singh S/o

					Prmodh Singh S/o Bikar Singh Equal Share 240 Share Hardayal S/o kahan S/o Namalum 480 Share Farooknurani Aakib Yaved Son & Smt Benjir D/o Kaludeen S/o Mansha ali Equal Share 180 Local resident . 969/2/1
3	970/3/1	Private	Non Agriculture	0.0762	Total 762 Share Puran Singh 68 Share Kartar Singh Suresh Kumar share equal 170 Share S/o Moti S/o Gurudita Sanjay Kumar S/o Puran Singh S/o Moti 16 Share Uttam chand Surjeet Singh Krishan Singh Equal Share 466 Share Son & Smt Ramdayi 42 Share Wd/o Relu S/o Ram Singh Local resident 970/3/1
	Village: Nera				
4	153/2	Government	Non Agriculture	0.0045	Himachal Pradesh Government 153/2
5	189/2	Government	Non Agriculture	0.0021	Himachal Pradesh Government 189/2
6	215/2	Government	Non Agriculture	0.046	Himachal Pradesh Government 215/2
			TOTAL	1.8682	

[F. No. 11011/27/3D]

RAJESH GUPTA, Director